

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरली बनाम अशोक कुमार वगै०

फरम मुकदमा - दावा अधारा

188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर-23/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी
हुए

16.02.2023

वादी वकील श्री विक्रम सिंह बांकावत एड. ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। दावा की मद संख्या 1 में अंकित खसरा नम्बरानु के सम्बन्ध में प्रतिवादीया सं. 2 की ओर से श्री गिरिराज शर्मा एड० ने एक कैवियट प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। कैवियट पेशकर्ता अधिवक्ता की तलबी जरिये सम्मन मय नकल जारी की जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण व कैवियट पेशकर्ता अधिवक्ता की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 20.02.2023 को पेश हो।

दिलीपसिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4-4-23

इसकाई तारीख पेशी देवे पर आज पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित/प्रीति, अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/सोडिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-4-23 पेश हो।

[Signature]

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

06.04.2023

वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 24.04.2023 से पूर्व तलबी होकर पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र को वादी स्वेच्छा से वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। वकील वादी व पक्षकार के निवेदन पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

[Signature]
दिलीपसिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर



दिलीपसिंह
Tel. by
Adm. Office
श्रीमाधोपुर